तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/3925/2006/भीलवाडा** **सरकार बनाम शांति व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-12-2025	**एकलपीठ** **श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री अर्चना गौतम, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1– यह रेफरेंस न्यायालय अपर जिला कलक्टर भीलवाडा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 12–05–2006 के द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, कोटडी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम बोरडा, तहसील कोटडी में स्थित साबिक बंदोबस्त आराजी नम्बर 494/2 रकबा 0.04 बीघा भूमि जो मंदिर मूर्ति ठाकुरजी स्थान देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। नवीन बंदोबस्त के दौरान उक्त आराजी भू–भाग के नवीन आराजी खसरा नम्बर 1465 रकबा 0.06 बीघा कायम करते हुए विपक्षीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया गया। बंदोबस्त विभाग ने शाश्वत मंदिर मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्ति के खाते में अभिलिखित कर दिया, जबकि नियमों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर प्रश्नगत आराजी को पूर्ववत् ठाकुरजी स्थान देह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का कथन किया। 3– न्यायालय अपर जिला कलक्टर भीलवाडा ने अपने आदेश दिनांक 12–05–2006 के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण मण्डल को अभिशंषा हेतु प्रेषित किया है। 4– रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया तथा विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। 5– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि मंदिर मूर्ति ठाकुरजी स्थान देह की खातेदारी में दर्ज थी। बाद में बिना किसी आधार व आदेश के मंदिर मूर्ति ठाकुरजी स्थान देह के नाम से विवादित भूमि की खातेदारी हटा कर अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो अवैध एवं अनुचित है। मंदिर को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर सेवक/पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/3925/2006/भीलवाडा** **सरकार बनाम शांति व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। अतः भूमि को अप्रार्थी की निजी खातेदारी से हटा कर पूनः मंदिर मूर्ति ठाकुरजी स्थान देह के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे। 6– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2010–2013 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बोरडा में स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 494/2 रकबा 4 बिस्वा भूमि माफी बिला टांका श्री ठाकुर जी स्थान देह के नाम दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 494/2 के हाल खसरा नम्बर 1465 रकबा 06 बिस्वा कायम हुए है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2059–62 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बोरडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1465 रकबा 0.06 बीघा भूमि शांति बेवा मथुरा दास, मु0 ज्यानी बेवा राधेश्यामदास व अन्य के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से साबित है कि विवादित भूमि पूर्व में मंदिर मूर्ति ठाकुरजी स्थान देह के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मंदिर आदि शाश्वत् नाबालिग है और मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी/सेवक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। 7– अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम बोरडा, तहसील कोटडी के हाल आराजी खसरा नम्बर 1465 रकबा 0.06 बीघा भूमि विपक्षीगण के नाम से हटायी जाकर राजस्व अभिलेख में मंदिर मूर्ति ठाकुरजी स्थान देह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	